जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
153/2015

<u>अपील सूचना अधिकार संख्या 153/2015 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर</u>

<u>19—12—2016</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

उपजिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक 24959 दिनांक 16.09.2015 व प्रार्थी के पत्रांक 5243 दिनांक 16.09.2015से संबंधित सूचनांए.

1. पत्रांक 24959 दिनांक 16.09.2015 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख प्राप्ति पंजिका का नम्बर व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्रार्थी क्रमांक 5243 दिनांक 16.09.15 व 24959 दिनांक 16.09.15 पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से इस सूचना का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. प्रार्थी के पत्रांक व उपजिला निर्वाचन अधिकारी के पत्रांक पर कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. लोक सभा चुनाव में मतदाता पर्ची वितरण में असावधानी व उदासीनता बरतने पर बही.एल.ओ. सुभाष गोयल के विरूद्ध जांच अधिकारी श्री मलकित सिंह के विरूद्ध जांच पूर्ण न करने के आधार पर लापरवाही बरतने के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 1950 व 1951 की 136 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाने बाबत सूचना।
6. कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1874 दि0 02.11.15 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1831 दिनांक 14.10.15 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1831 दि0 14.10.15 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः—

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
153/2015

आपके उपरोक्त आवेदन के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि:– बिन्दु संख्या एक की सूचना के संबंध में पत्र प्राप्ति पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क इस कार्यालय में जमा करावें ताकि आपको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सके।

शेष बिन्दु सं0 2 से 6 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू सं0 2 से 6 की सूचनाएं कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है और **बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को उक्तानुसार लिखा गया है जो प्रार्थी को शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए।** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 14.10.2015 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर